उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या 1348 –उनिलि/औ0सं0/मृ0आ0/प्रा0(47)/छ्.आ. दिनांक: 20 मई, 2013

## कार्यालय ज्ञाप

'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 (अद्यतन संशोधित)'' सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0–550/उनिलि/औ0सं0/मृ0आ0/प्रा0(47), दिनांक 12.07.2011, जिसमें मृतक आश्रित का कार्यालय सहायक–तृतीय(मंडल/खंड) में सेवायोजन उपरान्त तैनाती केवल पारीछा तापीय परियोजना अथवा निगम(मुख्यालय) पर जहाँ कमी हो, किये जाने का प्राविधान है, को संशोधित करते हुए एतदद्वारा आदेशित किया जाता है कि मृतक आश्रित की नियुक्ति यथासंभव उसी परियोजना में की जाय, जहाँ पर मृतक कार्मिक तैनात था।बशर्ते वहाँ पंद रिक्त हो अन्यथा जिस परियोजना में कार्यालय सहायक(तृतीय श्रेणी)(मंडल/खंड) पद रिक्त हो उस परियोजना में नियुक्त/तैनात किया जाय और यदि किसी भी परियोजना में कार्यालय सहायक–तृतीय श्रेणी(मंडल/खंड) का पद रिक्त न हो तब अधिसंख्य पद (Supernumery Post) के विरूद्ध आवश्यकतानुसार नियुक्ति/तैनाती सम्बन्धित परियोजना में की जाय।

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम में यथा प्रभावी उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 के संगत प्राविधान उपरोक्त सीमा तक संशोधित माने जायेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या 1348 औ0सं0/उनिलि/ प्रा0(47)/छ्.आ. तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 रा0वि0 उनिलि, लखनऊ के निजी सचिव शक्ति भवन लखनऊ ।
(2) निदेशक (कार्मिक)/(वित्त)/(तकनीकी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, के निजी सचिव लखनऊ
(3) मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2): अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज तापीय परियोजना।
(4) मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम/तापीय परिचालन उनिलि।
(5) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को निदेशक मंडल की 155वीं बैठक जो दिनांक 10.05.2013 को संपन्न हुई, के ऐजेण्डा आइटम सं012(अन्य विषय) के संदर्भ में।
(6) मुख्य अभियन्ता(मा0सं0)/(कारपोरेट स्ट्रेटेजी)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(पर्यावरण एवं सुरक्षा)/(ईंधन)/(आर0एण्ड एम0),उनिलि।
(7) सचिव उ0प्र0 राजय विद्युत उत्पादन निगम सेवा आयोग, उनिलि, लखनऊ।
(8)उप महाप्रबन्धक(मा.सं.–1/2/3/4/5/6)रिफार्म/टा.वा.से. उनिलि, लखनऊ।

आज्ञा से

18/5/2013
(एस0के0विद्यार्थी)
मुख्य अभियन्ता(मा0सं0)